रा नम्बर 4469, 4491, 4487 के खातेदार रास्ते से प्रभावित होगें जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। स पर मनन एवं प्रकरण को भलिभांति अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरें उक्त रण पर लागू नहीं होती है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 4469, 4491, 4487 के खातेदारान की भूमि में से रास्ता निकल रहा है। किस्म रास्ता दर्ज रेकार्ड है। किन्तु खातेदारान को पक्षकार नहीं गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण में खातेदारान आवश्यक पक्षकार होते भी इन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित मझता हूं :–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 मौजा शाहपुरा में स्थित आराजी म्बर 4469, 4491, 4487 के काश्तकारों का हित रास्ते दिये जाने पर प्रभावित होते हुए भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.21 17:18:43 IST
Reason: SelfAttested